4

Add. sub. -
Indiv - Psychology

मा०-9

प्रेषक,

क्षेत्रीय
अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय उप कार्यालय, वाराणसी

सेवा में,

प्रबन्धक,

रेणुपावर इण्टर कालेज, रेणुसागर,
सोनभद्र।

पत्र संख्या आई० बी० मान्यता 1698 वाराणसी, दिनांक 24-1- 1996

विषयः–आपका ~~हाई स्कूल~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये ~~नवीन~~/अतिरिक्त (~~वर्ग~~/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7-क 'क' के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की 1997 की ~~हाई स्कूल~~/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित ~~वर्ग~~/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ ~~नवीन~~/अतिरिक्त ~~वर्ग~~/विषयों में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

**सामान्य प्रतिबन्ध**

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ~~9वीं~~/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ से ~~9वीं~~/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति की जाय।

~~(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।~~

(5) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

## विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) एक प्रयोगशाला कक्ष 30×20 माप का शीघ्र बनाया जाय ।

## वर्ग व विषयों का विवरण

| वर्ग | अनिवार्य विषय | वैकल्पिक विषय |
| --- | --- | --- |
| साहित्यिक इण्टर | – | मनोविज्ञान |

टिप्पणी (1) कक्षा 11 में प्रवेश हेतु कम से कम 10 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/~~निरीक्षिका~~ कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

संलग्नक- भवन विश्लेषण

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(रामाज्ञा राय)
~~अपर~~ संयुक्त सचिव।
23-9-96

पृष्ठांकन संख्या आई० बी० मान्यता। दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका।~~ सोनभद्र।

(2) ~~मण्डलीय~~ सम्भागीय उपशिक्षा निदेशक वाराणसी।

(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० इलाहाबाद।

(4) ~~हाई स्कूल~~/इन्टरमीडिएट परीक्षा संस्थागत अनुभाग।

(रामाज्ञा राय)
~~अपर~~ संयुक्त सचिव।

**माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी**

## भवन विश्लेषण-पत्र

(अतिरिक्त मान्यता हेतु आवेदन करते समय आवेदन-पत्र के साथ इस प्रपत्र की प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें)

विद्यालय का नाम रेणुपावर इण्टर कालेज, रेणुसागर, सोनभद्र ।

### अभिलेखानुसार वर्तमान मान्यता

| हाई स्कूल | | इण्टरमीडिएट | |
|---|---|---|---|
| वर्ग | विषय | वर्ग | विषय |
| साहित्यिक | | साहित्यिक | |
| वैज्ञानिक | | वैज्ञानिक | |

स्वीकृति मान्यता ______ परीक्षा वर्ष 1997

पत्रांक मान्यता साहि० वर्ग इंटर अति० विषय मनोविज्ञान दिनांक ...... द्वारा निम्नलिखित भवन के आधार पर स्वीकृत

### भवन

| प्रयोजन | कक्षों की माप एवं संख्या | उपलब्ध कक्ष | वांछित कक्षों की संख्या | | कमी (यदि कोई हो) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | वर्तमान हेतु | स्वीकृत हेतु | |
| 1- शिक्षण कक्ष | 25=26.9×21.9 | 25 | 25 | – | – |
| 2- वैकल्पिक कक्ष | 2=21.9×17.3 | 2 | 2 | – | – |
| 3- प्रयोगशाला (6×9 मी०) | 2=33×19.5<br>2=31.6×24<br>1=33×24 | 5 | 6 | – | 1 |
| 4- प्रयोगशाला (6×8 मी०) (हाई स्कूल गृह वि०) | 8=12.6×12.2<br>3=17×9.5 | 11 | 11 | – | – |
| 5- प्रयोगशाला से संलग्न कक्ष | | | | | |
| 6- प्रशासकीय कक्ष | 1=17×9.5<br>1=12×10<br>1=12×12<br>1=26.9×21.9 | 4 | 4 | – | – |
| 7- पुस्तकालय | 1=26.9×21.9 | 1 | 1 | – | – |
| 8 कृषि कक्ष | | | | | |
| 9 संगीत/कला/नृत्य कक्ष | | | | | |
| 10- अन्य कक्ष... भूगोल | 1=53.6×21.9 | 1 | 1 | – | – |
| | योग .. | 49 | 50 | – | 01 |

**अन्य उपलब्ध कक्ष**

संख्या | माप | कच्चे/पक्के | अग्राह्य होने के कारण

प्रतिबन्ध (यदि कोई हो) 01 प्रयोगशाला कक्ष 30×20 माप का शीघ्र बना[ये] जाय ।

(क्षेत्रीय सचिव)

(रामाज्ञा राय)
क्षेत्रीय सचिव ।
23.9.96

[कृ०पृ०उ०]
23.9.96

निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण/वार्षिक निरीक्षण के समय इस (प्रपत्र के अनुसार भवन की जांच कर लें तथा भवन में यदि कोई वृद्धि हुई हो तो निम्न तालिका में वृद्धि का विवरण अंकित कर दें।

इस भवन विश्लेषण-पत्र के निर्गमन के पश्चात् भवन में की गयी वृद्धि का विवरण -

| निरीक्षण का दिनांक | कक्षों की संख्या एवं माप | दीवार पक्की/कच्ची | छत का विवरण | निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

पी० एस० यू० पी० (वा०)---42 मा० शि० प०---16 6 95---20,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।